बॉण्डधारकों की बकाया / दावारहित राशि के न्यूनीकरण हेतु पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के अनुपालन में, परिपक्व हो चुके ऋणपत्रों अथवा बॉण्डों की मूलधन राशि और भुगतान की तिथि तक उस पर देय ब्याज, जो देय तिथि से सात वर्ष तक बकाया या दावारहित रहता है, उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना आवश्यक है।

आई.ई.पी.एफ. द्वारा भी दावारहित राशि को कम करने की दिशा में सक्रिय पहल उठाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से 'सक्षम निवेशक' अभियान को शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन शेयरधारकों पर केंद्रित है जिनका लाभांश दावारहित रह गया है। इसमें केवाईसी अद्यतन और संबंधित अनुपालन उपायों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

उपर्युक्त अभियान के अनुरूप, आरईसी लिमिटेड द्वारा बॉण्डधारकों को उनकी बकाया / दावारहित राशि का दावा करने में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न सक्रिय पहलें अपनाई की जा रही हैं। बॉण्डधारक सहभागिता और पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, कंपनी द्वारा बॉण्डधारकों को उनके विवरण अद्यतन करने तथा देय लाभों का दावा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नियमित रूप से वार्षिक अनुस्मारक पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं।

अभियान का उद्देश्य

बॉण्डधारकों को उनके केवाईसी तथा अन्य विवरण अद्यतन करने एवं किसी भी बकाया अथवा दावारहित राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई.ई.पी.एफ.) में अंतरित किए जाने से पूर्व उनको दावा करने के प्रति जागरूक करना। दावारहित शेष राशि तथा बॉण्डधारकों से संबंधित विवरण https://recindia.nic.in/54EC पर उपलब्ध है।

बॉण्डधारकों हेतु आवश्यक कार्रवाई

बॉण्डधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पैन, नामांकन विवरण, संपर्क विवरण (डाक पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि) तथा बैंक खाते के विवरण को कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अद्यतन कराएं।

क) भौतिक रूप में बॉण्ड/शेयर धारण करने वाले बॉण्डधारकों से अनुरोध है कि वे निम्न पद्धति के अनुसार केवाईसी सहित अपने विवरण अद्यतन करें :

प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण/दस्तावेज़*	प्रेषण का माध्यम
प्रपत्र आईएसआर-1: स्व-प्रमाणित केवाईसी दस्तावेजों सहित विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र प्रस्तुत करें। **प्रपत्र आईएसआर-2:** बैंकर द्वारा सत्यापित आपका हस्ताक्षर तथा मूल रद्द किया गया चेक (जिस पर आपका नाम मुद्रित हो) या स्व-प्रमाणित बैंक पासबुक/विवरण सहित विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र प्रस्तुत करें। **प्रपत्र एसएच-13:** नॉमिनी का नाम शामिल करने हेतु	**डाक द्वारा**: विधिवत स्व-प्रमाणित एवं दिनांकित भौतिक प्रतियाँ कंपनी के आरटीए को निम्न पते पर भेजें: ***सीजीटीई बॉण्ड्स एवं कर-मुक्त बॉण्ड्स के लिए:*** प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट: आरईसी - 54ईसी बॉण्ड्स) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, मंडल, हैदराबाद - 500 032। **अथवा ;** ***इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स के लिए :*** प्रबंधक, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट - आरईसी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्स) बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदांगिर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली - 110062। **ई-मेल द्वारा:** अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी से investorcell@recl.in पर प्रेषित करें।

*बॉण्डधारक https://recindia.nic.in/Forms से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में बॉण्ड धारण करने वाले तथा अपना लाभांश प्राप्त न करने वाले बॉण्डधारक, अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना केवाईसी तथा अन्य विवरण अद्यतन अथवा संशोधित कर सकते हैं। इसके उपरांत, वे कंपनी के आरटीए को अद्यतन विवरण संसूचित करके अपनी राशि का दावा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 और उससे पहले के बॉण्डों की परिपक्वता से संबंधित बकाया / दावारहित राशि को कंपनी द्वारा पहले ही आईईपीएफ में अंतरित किया जा चुका है। ऐसी राशि के संबंध में कोई भी दावा सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण से किया जाना है। आईईपीएफ से राशि का दावा करने की प्रक्रिया को https://recindia.nic.in/iepf-details पर देखा जा सकता है।

बॉण्डधारकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों पर ध्यान दें और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

आरईसी / आईईपीएफ से बॉण्डधारकों की बकाया / दावारहित राशि के दावे के संबंध में किसी भी सहायता हेतु, कृपया investorcell@recl.in; अथवा 54ecpa@recindia.com; पर ई-मेल करें।

****